

बिहार सरकार
कृषि विभाग

पत्र संख्या-3/कृ0 बजट-आवंटन-25/2014 210 (भिवटन)/कृ0, पटना, दिनांक 08-01-2015

प्रेषक,

रामजी सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

मुख्य लेखा पदाधिकारी,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

विषय : भोला पासवान शास्त्री कृषि महाविद्यालय पूर्णियाँ की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2010-11 से वित्तीय वर्ष 2014-15 तक कुल 5 वर्षों के लिए ₹7750.00 लाख रुपये (सतहत्तर करोड़ पचास लाख रु० मात्र) की लागत पर योजना कार्यान्वयन के अधीन वित्तीय वर्ष 2014-15 में स्वीकृति के लिए अवशेष राशि में से 673.00 लाख रुपये (छः करोड़ तिहत्तर लाख रुपये मात्र) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के फलस्वरूप व्यय हेतु कुल ₹6,73,00,000 (छः करोड़ तिहत्तर लाख रुपये मात्र) की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक स्वीकृत्यादेश संख्या-5830 दिनांक-24.12.2014 द्वारा भोला पासवान शास्त्री कृषि महाविद्यालय पूर्णियाँ की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष, 2010-11 से वित्तीय वर्ष, 2014-15 तक कुल 5 वर्षों के लिए ₹7750.00 लाख रुपये (सतहत्तर करोड़ पचास लाख रु० मात्र) की लागत पर योजना कार्यान्वयन के अधीन वित्तीय वर्ष, 2014-15 में अवशेष राशि में से 673.00 लाख रुपये (छः करोड़ तिहत्तर लाख रुपये मात्र) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति हुई है। इस स्वीकृत राशि के अंतर्गत व्यय हेतु कुल ₹6,73,00,000 (छः करोड़ तिहत्तर लाख रुपये मात्र) की राशि आवंटित की जाती है।

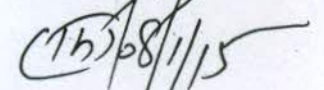
2. उपरोक्त ₹6,73,00,000 (छः करोड़ तिहत्तर लाख रुपये मात्र) की राशि का व्यय बजटशीर्ष-2415 -कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा-मांग सं०-1-उपमुख्यशीर्ष-01-फसल कृषि कर्म-लघु शीर्ष-277-शिक्षा-उपशीर्ष-0110-कृषि महाविद्यालय पूर्णियाँ, विपत्र कोड-P2415012770110, राज्य योजना स्कीम कोड-AGR-5041 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में विषयशीर्ष 3105- सहायक अनुदान परिसंपत्तियों के निर्माण मद में उपबंधित राशि ₹24,99,44,000 (चौबीस करोड़ निनान्वे लाख चौवालीस हजार रुपये) में से विकलनीय होगा।

3. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक-2561 वि० (2) दिनांक-17.04.98 एवं पत्रांक-6720 वि० (2) दिनांक-25.07.2014 के आलोक में दी जा रही है।

4. इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्तों/निर्देशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्यय पदाधिकारी की होगी।

5. व्यय के तुरत बाद टी० भी० नं० के साथ व्यय विवरणी अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

विश्वासभाजी,



(रामजी सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव।

msb

ज्ञापांक

210 (भावन)

/कृ०, पटना, दिनांक 08-01-2015

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक

210 (भावन)

/कृ०, पटना, दिनांक 08-01-2015

प्रतिलिपि : कृषि निदेशक/निदेशक उद्यान/निदेशक, पी०पी०एम (कृषि विभाग)/निदेशक, भूमि संरक्षण/मिशन निदेशक, राष्ट्रीय बागवानी मिशन बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पूर्णियाँ/जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ/नियंत्रक, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/कुलपति राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा समस्तीपुर/नियंत्रक, राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा समस्तीपुर/वित्त विभाग, (बजट-शाखा) बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, (प्रशाखा-04, समन्वय) कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उ० कृषि निदेशक, (सूचना), बिहार, पटना/आई० टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विनागीय बेवसाईट पर डालने हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।